May 16, 2026

Asst. Vice President, Listing Deptt.,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai - 400 051
Scrip Code: HEROMOTOCO

The Secretary,
BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 500182

Subject: Newspaper advertisement - Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published to inform the shareholders about transfer of equity shares and unpaid dividends to the Investor Education and Protection Fund and to claim their unclaimed dividends.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Hero MotoCorp Limited

Digitally signed by: PRABHAT SINGH
Date: 2026.05.16 22:39:56 +05'30'

Prabhat Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

Hero VIDA

Hero MotoCorp Limited

Registered Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road,
Vasant Kunj - Phase -II, New Delhi – 110070, India
CIN: L35911DL1984PLC017354
Phone: +91-11-46044220 | **Fax:** +91-11-46044399
Email: secretarialho@heromotocorp.com | **Website:** www.heromotocorp.com

NOTICE

(For the attention of Equity Shareholders of the Company)

SUB: TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

This notice is published pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016 (the 'Rules'), as amended from time to time.

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has remained unclaimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

According to the various requirements set out in the Rules, the Company has sent notices by way of reminder letter dated May 15, 2026 to all the concerned shareholders at their registered addresses available with the Company and whose shares are liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority under the said Rules for taking appropriate action(s). The dispatch of such letters has been completed on May 15, 2026.

The Company has uploaded details of such shareholders and shares due for transfer to Demat account of IEPF Authority on its website at https://www.heromotocorp.com/en-in/investors/unclaimed-dividends.html

In view of the above, all such shareholders are requested to make an application to the Company or the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) by August 20, 2026 for claiming the unpaid final dividend of FY 2018-19 to avoid their shares getting transferred to the IEPF Authority. **It may please be noted that if no claim/application is received by the IEPF Authority, without any further notice, by following the due process as provided under the Rules. Please also note that subsequent to such transfer of relevant shares to IEPF Authority, all future benefits which may accrue thereunder, including future dividends/ corporate actions, if any, will be credited to the IEPF Authority.**

Shareholders may note that both the unpaid/unclaimed dividends and the shares transferred to IEPF Bank/ Demat Account including all benefits accruing on such shares, if any, may be claimed by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will be deemed cancelled and non-negotiable.

In case shareholders have any query on the subject matter and the Rules, they may contact the Company's RTA at **M/s. KFin Technologies Limited,** Unit: Hero Motocorp Limited, Selenium, Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Rangareddy, Hyderabad - 500032, Telangana, India. Toll Free no.: 1800-309-4001. Email: einward.ris@kfintech.com, Website: www.kfintech.com.

Further, shareholders are encouraged to participate in the Second 100 Days' Campaign, 'Saksham Niveshak', from April 1, 2026, to July 9, 2026. This initiative, launched as per the directive of the IEPF Authority, focuses on shareholders with unclaimed dividends, emphasizing KYC updation and related compliance measures to facilitate the claim of entitlements.

For Hero MotoCorp Limited
Sd/-
Prabhat Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: May 15, 2026

Important Note for shareholders holding shares in physical form:

1) Please update your KYC & Bank account details by writing to Company's RTA, if not already done. In accordance with the recent amendments in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions relating to payment of dividend through "payable-at-par" warrants or cheques have been completely discontinued. Consequently, all dividend payments will now be remitted only through electronic mode. Please note that the payments can only be processed upon furnishing the above-mentioned details to the Company's RTA.
2) Please dematerialize your shares held in physical form.

Hero VIDA

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: द ग्रैंड प्लाज़ा, प्लॉट संख्या 2, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज - फेज - II, नई दिल्ली – 110070, भारत

CIN: L35911DL1984PLC017354

फोन: +91-11-46044220 | **फैक्स:** +91-11-46044399

ईमेल: secretarialho@heromotocorp.com | **वेबसाइट:** www.heromotocorp.com

सूचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान देने के लिए)

विषय : इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) को कंपनी की इक्विटी शेयर का हस्तांतरण हेतु

यह सूचना इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, हस्तांतरण और रिफंड) नियमावली 2016 ("नियम") जिसे कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया गया है।

नियमों में, अन्य मामलों के साथ-साथ, उन सभी शेयरों को जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने का प्रावधान है।

नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों जिनके शेयर उचित कार्यवाही करने के लिए उक्त नियमों के अंतर्गत आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते को हस्तांतरित किए जाने के योग्य हैं, को दिनांक 15 मई, 2026 तक संबधित शेयरधारकों को कंपनी के साथ पंजीकृत पते पर स्मरण-पत्र के माध्यम से सूचनाएं भेजी हैं। ऐसे पत्रों का प्रेषण 15 मई, 2026 को पूरा हो गया है।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट https://www.heromotocorp.com/en-in/investors/unclaimed-dividends.html पर उक्त शेयर धारको और शेयरो का विवरण अपलोड कर रखा है ताकि शेयर धारक उक्त शेयर/लाभांश का विवरण पुष्टि कर पाए जो कि आई ई पी एफ में हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है।

उपरोक्त के मद्देनजर, ऐसे सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्त वर्ष 2018-19 के भुगतान न किए गए अंतिम लाभांश का दावा करने के लिए 20 अगस्त, 2026 तक कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को एक आवेदन करें ताकि उनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण में स्थानांतरित नहीं किए जाएं। **कृपया ध्यान दिया जाए कि यदि उक्त तिथि तक कंपनी या आरटीए द्वारा कोई दावा/आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अंतर्निहित शेयरों को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमों के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरण करने के लिए बाध्य होगी। कृपया यह भी ध्यान दें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को प्रासंगिक शेयरों के इस तरह के हस्तांतरण के बाद, भविष्य के लाभांश/कॉर्पोरेट कार्यवाहियों, यदि कोई हो, सहित भविष्य के सभी लाभ जो इसके तहत अर्जित हो सकते हैं, कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण में जमा किए जाएंगे।**

शेयरधारक ध्यान दें कि नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से आईईपीएफ बैंक/डीमैट खाते में जमा किए गए सभी लाभों सहित भुगतान नहीं किये गए/दावा नहीं किये गए लाभांश और शेयर, यदि कोई हो, दोनों का दावा किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि दावा नहीं किये गए लाभांश राशि और नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

संबंधित शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, यह नोट कर सकते हैं कि कंपनी इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले नया शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। नियमों के अनुसार आईईपीएफ को शेयरों के हस्तांतरण और ऐसे मुद्दे पर, मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, को रद्द और अपरक्राम्य माना जाएगा।

उक्त विषय के मामले और नियमों पर किसी पूछताछ के मामले में, शेयरधारक कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट **मैसर्स के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,** इकाई: हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, सेलेनियम, टॉवर-बी, प्लॉट 31 और 32, गचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी, हैदराबाद - 500032, तेलंगाना, भारत। टोल फ्री नंबर: 1800-309-4001. ईमेल: einward.ris@kfintech.com, वेबसाइट: www.kfintech.com से संपर्क करें।

इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को 1 अप्रैल, 2026 से 9 जुलाई, 2026 तक आयोजित द्वितीय 100 दिवस अभियान 'सक्षम निवेशक' में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह पहल आईईपीएफ प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रारंभ की गई है, जो दावा नहीं किए गए लाभांश वाले शेयरधारकों पर केंद्रित है तथा अधिकारों के दावे को सुगम बनाने हेतु केवाईसी अद्यतन एवं संबंधित अनुपालन उपायों पर बल देती है।

कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

स्थानः नई दिल्ली | **प्रभात सिंह**

दिनांक: 15 मई, 2026 | **कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी**

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण नोट:

1. यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो कृपया कंपनी के आरटीए को लिखकर अपने केवाईसी एवं बैंक खाते का विवरण अपडेट करें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार लाभांश भुगतान हेतु "पेयेबल-एट-पार" वारंट अथवा चेक की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। परिणामस्वरूप, अब सभी लाभांश भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि उक्त भुगतान केवल कंपनी के आरटीए को उपर्युक्त विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात ही संसाधित किए जा सकेंगे।
2. कृपया भौतिक रूप में रखे गए अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज़ करें।